भारत सरकार
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 1669
दिनांक 05 दिसंबर, 2024

सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों द्वारा ईंधन विक्रय केंद्रों को मंजूरी

†1669. श्री एन. के. राघवन :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों द्वारा दूरी के किसी भी मानदंड का पालन किए बिना स्वीकृत ईंधन विक्रय केंद्रों का संज्ञान लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा ईंधन विक्रय केंद्र शुरू करने के लिए दूरी के मानदंड सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं; और

(ग) विगत पांच वर्षों और चालू वर्ष के दौरान ईंधनों के माध्यम से एकत्रित सड़क उपकर का वर्ष-वार और राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री सुरेश गोपी)

(क) और (ख) दिनांक 01.04.2002 से प्रशासित मूल्य व्यवस्था (एपीएम) को विघटित करने के बाद, खुदरा बिक्री केन्द्र (आरओ) डीलरों का चयन/निरस्तीकरण सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कम्पनियां (ओएमसीज) द्वारा स्वयं ही किया जाता है। ओएमसीज द्वारा बताया गया है कि क्षेत्र सर्वेक्षण और व्यवहार्यता अध्ययन के आधार पर आरओज की स्थापना पहचान किए गए स्थलों पर की जाती है। नए आरओ के लिए स्थलों को वाणिज्यिक व्यवहार्यता अर्थात डीलर चयन दिशानिर्देशों में निर्दिष्ट बिक्री संभाव्यता के आधार पर विज्ञापित किया जाता है और ये दिशानिर्देश नए आरओज को अवस्थापित करने हेतु विज्ञापन अथवा स्थल के लिए किसी भी दूरी संबंधी मानकों को निर्दिष्ट नहीं करते हैं।

(ग) वित्त मंत्रालय द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार, चालू वर्ष और पिछले पांच वर्षों के दौरान एकत्र किया गया सड़क तथा अवसंरचना संबंधी उप-कर के ब्यौरे **अनुलग्नक** में दिए गए हैं। इसके अलावा, वित्त मंत्रालय ने बताया है कि मंत्रालय, राज्य-वार सड़क तथा अवसंरचना संबंधी उप-कर एकत्र करने संबंधी डाटा नहीं रखता है।

****

अनुलग्नक

सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों द्वारा ईंधन विक्रय केन्द्रों को मंजूरी के संबंध में श्री एम के राघवन, संसद सदस्य द्वारा दिनांक 05.12.2024 को पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1669 के भाग (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

सड़क और अवसंरचना उप-कर एकत्र करने संबंधी ब्यौरा

(करोड़ रु.)

लेवी और कर प्राप्ति शीर्ष का नाम	**वास्तविक आंकड़े 2019-20**	**वास्तविक आंकड़े 2020-21**	**वास्तविक आंकड़े 2021-22**	**वास्तविक आंकड़े 2022-23**	**संशोधित 2023-24**	**बजट 2024-25**
सड़क और अवसंरचना उपकर *						
सीमा शुल्क	2.41	1.57	1.82	2.55	..	..
केंद्रीय उत्पाद शुल्क	67371.33	123596.45	107598.94	59232.40	44300.00	46530.00
(मोटर स्पिरिट पर अतिरिक्त शुल्क)	14381.86	26895.29	26565.25	..	..	..
केंद्रीय उत्पाद शुल्क (हाई स्पीड डीजल पर अतिरिक्त शुल्क)	40668.72	85289.24	61820.95	..	..	..
योग	**122424.32**	**235782.55**	**195986.96**	**59234.95**	**44300.00**	**46530.00**

* इसमें पेट्रोल और डीजल पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क शामिल है, जिसे 'सड़क और अवसंरचना उपकर' लागू होने से पहले 'सड़क उपकर ' के रूप में जाना जाता था।

स्रोत - वित्त मंत्रालय, आर्थिक मामलों का विभाग